



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267969
CG-DL-E-26112025-267969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5249]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947

No. 5249]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRAHAYANA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5427(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3277 (अ), तारीख 18 जुलाई 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच - एनई 4 के कि.मी. 58.820 से कि.मी.74.195 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भुखंड के निर्माण (चोड़ा करने / छह/ आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26 अगस्त 2025" को "पुण्य नगरी" (मराठी) और "दि इंडियन एक्सप्रेस"(अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर ते एनएच - एनई 4 के कि.मी. 58.820 से कि.मी.74.195 (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: ठाणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अम्बरनाथ					
गांव का नाम: सोनिवली					
1	४१/१अ	निजी	कृषि	0.0206	अजय हरिश्चंद्र मेहेर, निलीमा निलेश म्हात्रे, भार्गवी भार्गव चंचे 41/1A
Total				0.0206	

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5427(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3277 (E) Dated:18th July, 2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six/Eight laning, etc.), maintenance, management and operation of Mumbai- Vadodara Expressway Spur to NH-NE4 in the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) in the district of Thane in the state of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in **"Punya Nagari"(Marathi)** and **"The Indian Express"(English)** both dated **26th August 2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 58.820 to Km. 74.195 (Maharashtra Section) Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH-NE 4 in the district of Thane in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: THANE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambarnath					
Village: Sonivali					
1	41/1A	Private	Agricultural	0.0206	Ajay Harishchandra Meher, Nilima Nilesh Mhatre, Bhargavi Bhargav Chanche 41/1A
Total				0.0206	

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director